T.I. 50/50 17/2023

किसनलाल बनाम तहसीलदार निवाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12/4/23	अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2939 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2939/2 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा वाके कस्बा निवाई की भूमि मे से दक्षिण साइड में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो उत्तर से दक्षिण 60 फीट व पूर्व से पश्चिम 700 फीट हैं, जो खसरा नम्बर 2938 के अडवा उत्तर दिशा में स्थित हैं, का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1995 को रेस्पोण्ड्स के पूर्वज दुर्गा महेश हिसंह पुत्र भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी बपूई हिस्सा 1/3 संग्राम सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी जलालपुरा हिस्सा 1/3 विरेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी बहड हिस्सा 1/3. तीनों ने बराबर–बराबर क्रय की थी,परन्तु उक्त भूमि का नामा. संख्या 6674 तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 28.08.2014 को तस्दीक कर उपरोक्त तीनो क्रेताओं के नाम हिस्सा 90/1119 का अंकन किया गया हैं,जो विधि विरूद्ध हैं,जबकि तहसीलदार निवाई द्वारा रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वजों द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा नम्बर 2939 के दक्षिण भाग की स्पष्ट रूप से क्रय की गई 60x700 फीट भूमि स्थान विशेष के अनुसार ही दाखिल खारिज की कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतः ताफैसला अपील रेस्पो. को पाबंद किया जावे कि स्वंय जरिये एजेण्ट,नोकर रिश्तेदार या अन्य किसी भी माध्यम से उक्त भूमि खसरा नम्बर 2939/2 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम निवाई के राजस्व रिकार्ड एंव मौके की स्थिति मे कोई परिर्वतन नही करे और ना ही अपीलांट्स के कब्जे व खातेदारी मे कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने जवाबी बहस में तर्क दिया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में खसरा नं. 2939/2 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय किया गया है,जिसमें दुर्गा महेश सिंह पुत्र भवानी सिंह राजूत हि. 1/3, व संग्राम सिह पुत्र प्रताप सिंह राजपूत हि. 1/3 व विरेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह राजपूत हि. 1/3 बराबर–बराबर विक्रय किये जाने का अंकन किया गया हैं। विक्रेताओं ने 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय किया हैं। नामा. सं. 6674 में क्रेताओं दुर्गा महेश सिंह हि. 30/1119, संग्राम सिंह हि. 30/1119, वीरेन्द्र सिंह हि. 30/1119 के नाम नामान्तकरण भरा गया हैं जो विक्रय पत्र में अंकित रकबा के अनुसार हिस्सा अनुसार भरा गया हैं। तीनों क्रेताओं का कुल हिस्सा 90/1119 दर्ज है जो खसरा नम्बर 2939/2 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा के बराबर है। तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के अनुसार ही तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर टोंक

P.T.O

प्र.व. (T.R) 17/2023

किशन लाल V/s TDR निवाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने बहस अभिभाषक अपीलांटस एवं पेरोकार सरकार सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं होने से स्थगन दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता हैं। तलबाना सम्मन पेश होने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 14 जारी कर पत्रावली दिनांक 15.05.2023 को पेश हो। जिला कलेक्टर टोंक	